अनुदान संख्या 46 – स्वास्थ्य विभाग
GRANT No. 46–DEPARTMENT OF HEALTH

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	2556,93,00		2646,96,00	2591,96,12	–54,99,88
पूरक	Supplementary	90,03,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					शून्य Nil
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–			317,05,00	241,78,03	–75,26,97
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचत (5499.88 लाख रु.) दिसम्बर, 2003 और फरवरी, 2004 में प्राप्त किए गए 9003.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 61 प्रतिशत तथा कुल स्वीकृत प्रावधान का 2 प्रतिशत थी।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.5499.88 lakhs) constituted 61 percent of the supplementary grants of Rs.9003.00 lakhs obtained in December, 2003 and February, 2004 and 2 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2210'' चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	Major Head "2210" Medical and Public Health				
मू.	O.	199137.00	229549.87	227092.24	–2457.63
पू.	S.	9003.00			
पु.	R.	21409.87			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	15500.00	506.02	. .	–506.02
पु.	R.	–14993.98			
मुख्य शीर्ष "3601'' राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	35429.00	29015.11	27829.17	–1185.94
पु.	R.	–6413.89			
मुख्य शीर्ष "3606'' सहायता, सामग्री तथा उपस्कर	Major Head "3606" Aid, Material and Equipments		3784.00	2518.11	–1265.89

(I) 20464.50 लाख रु. का प्रावधान तेरह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 20210.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "2210'' - "लोक स्वास्थ्य - अन्य व्यय''-

(क) "स्वास्थ्य के क्षेत्र में महाविपदा के प्रति पूर्व-तैयारी और प्रबंधन'' - 500.00 लाख रु.;

(ख) "सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए यूएनडीपी प्रायोगिक पहल'' - 410.00 लाख रु.; और

(ग) "केन्द्रीय स्कीमों के अंतर्गत नई पहल'' - 500.00 लाख रु.।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान स्कीम को लागू न किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.20464.50 lakhs remained wholly unutilised under thirteen heads; of these Rs.20210.00 lakhs accounted for under the following major heads :-

(A) Major Head "2210" - "Public Health - Other Expenditure"-

(a) "Health Sector Disaster Preparedness and Management" - Rs.500.00 lakhs;

(b) "UNDP Pilot Initiatives for Community Health (EAC)" - Rs.410.00 lakhs; and

(c) "New Initiatives under Central Schemes" - Rs.500.00 lakhs.

Provisions under the above three heads remained unutilised due to non-implementation of the scheme.

(खा) मुख्य शीर्ष "2552" - "अन्य व्यय - सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए प्रावधान" - 15500.00 लाख रु. निधियों का पुनर्विनियोग सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और पूर्वोत्तर क्षेत्र में राज्यों द्वारा प्राप्त किए गए परेषणों की विलंब से पावती दिए जाने की वजह से राष्ट्रीय मलेरियारोधी कार्यक्रम के लिए निधियों का उपयोग न किए जाने के कारण थे।

(गा) मुख्य शीर्ष "3601" - "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - लोक स्वास्थ्य - रोगों की रोकथाम और उन पर नियंत्रण"-

(क) "औषध परीक्षण सुविधाओं का संवर्धन" - 950.00 लाख रु.; और

(ख) "खाद्य प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण" - 2000.00 लाख रु.।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन न होने की वजह से स्कीम को लागू न किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(घा) मुख्य शीर्ष "3606" - "जीएफएटीएम से सहायता - राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए सामग्री सहायता" - 350.00 लाख रु. एड्स, क्षयरोग और मलेरिया का मुकाबला करने के लिए वैश्विक निधि के अनुमोदन में विलंब होने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष "2210" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी - अस्पताल और डिस्पेंसरियां - सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली" - 585.45 लाख रु. की बचत (11090.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अदायगी के लिए कम बिलों के प्राप्त होने, उपस्कर की कम खरीद किए जाने और वर्ष की समाप्ति के बाद डेबिटों की देर से प्राप्ति होने के कारण हुई।

(खा) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - एलोपैथी - कैंसर अनुसंधान" - 1640.32 लाख रु. की बचत (4018.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बढ़े हुए प्रावधान

(B) Major Head "2552" - "Other Expenditure - Provision for Projects/Schemes for the Development of North Eastern Region including Sikkim" - Rs.15500.00 lakhs - due to re-appropriation of funds to the functional heads for meeting the expenditure on the projects/ schemes for the benefit of North Eastern States including Sikkim and non-utilisation of funds for National Anti-Malaria Programme owing to delayed acknowledgement of the consignment received by the States in the North-Eastern Region.

(C) Major Head "3601" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Public Health - Prevention and Control of Diseases"-

(a) "Augmentation of Drugs Testing Facilities (EAC)" - Rs.950.00 lakhs; and

(b) "Strengthening of Food Laboratories (EAC)" - Rs.2000.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to non-implementation of the scheme owing to non-approval by the competent authority.

(D) Major Head "3606" - "Assistance from GFATM - Material Assistance for National T.B. Control Programme" - Rs.350.00 lakhs - due to delay in approval of Global Fund to fight AIDS, T.B. and Malaria.

(II) Under Major Head - "2210" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Urban Health Services - Allopathy - Hospitals and Dispensaries - Safdarjung Hospital, New Delhi" - saving of Rs.585.45 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.11090.00 lakhs) was due to receipt of less bills for payments, less purchase of equipment and late receipt of debits after closure of the year.

(B) "Medical Education, Training and Research- Allopathy - Cancer Research" - saving of Rs.1640.32 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4018.00 lakhs) was due to non-

को व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(गा) ''लोक स्वास्थ्य''-

(क) ''निदेशन और प्रशासन - विमानपत्तन संगठन सहित पत्तन स्वास्थ्य स्थापना'' - 227.90 लाख रु. की बचत (875.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यालय उपस्कर/फर्नीचर की कम खरीद किए जाने, रिक्त पदों के न भरे जाने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति के कम दावे प्राप्त होने, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा सिविल मरम्मत कार्य शुरू न किए जाने और साथ ही किराया, दरों और करों का वार्षिक संशोधन लंबित होने के कारण हुई।

(ख) ''प्रशिक्षण - परिचर्या सेवाओं का विकास'' - 1109.96 लाख रु. की बचत (1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 1801.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परिचर्या विद्यालयों का उन्नयन करके उन्हें परिचर्या कालेजों के स्तर का बनाए जाने को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(ग) ''रोगों की रोकथाम और उन पर नियंत्रण'' -

(i) ''राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान'' - 382.40 लाख रु. की बचत (1985.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे कम प्राप्त होने, सामग्री की कम खरीद किए जाने, जैव-सुरक्षा प्रयोगशाला का निर्माण पूरा होने में विलंब होने और संस्थान द्वारा किए जाने वाले अनुसंधान कार्यकलापों का धीमा कार्यान्वयन किए जाने के कारण हुई।

(ii) ''राष्ट्रीय मलेरिया-रोधी कार्यक्रम'' - 1209.48 लाख रु. की बचत (5263.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जिला मलेरिया नियंत्रण समितियों के पास उपलब्ध अव्ययित शेष का समायोजन किए जाने और रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण हुई।

(iii) ''राष्ट्रीय कुष्ठरोग नियंत्रण कार्यक्रम'' - 1430.35 लाख रु. की बचत (4964.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बहु-औषध कुष्ठ रोग जिला

approval of the enhanced provision by the Expenditure Finance Committee.

(C) "Public Health"-

(a) "Direction and Administration - Port Health Establishment including Airport Organisation" - saving of Rs.227.90 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.875.00 lakhs) was due to less purchase of office equipment/furniture, non-filling up of vacant posts, less claims received on account of medical reimbursement, civil repair work not initiated by Central Public Works Department and also pending annual revision of rent, rates and taxes.

(b) "Training - Development of Nursing Services" - saving of Rs.1109.96 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.1801.00 lakhs including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh) was due to non-approval for up-gradation of schools of nursing to the level of colleges of nursing.

(c) "Prevention and Control of Deseases"-

(i) "National Institute of Communicable Diseases" - saving of Rs.382.40 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1985.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less claims received on account of medical reimbursement, less purchase of material, delay in the completion of BIO-safety lab construction and slow implementation of research activities undertaken by the Institute.

(ii) "National Anti-Malaria Programme" - saving of Rs.1209.48 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5263.00 lakhs) was due to adjustment of unspent balance lying with the District Malaria Control Societies and non-filling up of vacant posts.

(iii) "National Leprosy Control Programme" - saving of Rs.1430.35 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4964.00 lakhs) was due to adjustment of unspent balance

समितियों और अन्य कार्यान्वयन अभिकरणों के पास उपलब्ध अव्ययित शेष का समायोजन किए जाने के कारण हुई।

(iv) ''राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम'' - 2307.68 लाख रु. की बचत (2800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजना को विलंब से अनुमोदन प्रदान किए जाने के कारण हुई।

(घ) ''खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम - खाद्य अपमिश्रण संबंधी प्रशासन और उसकी रोकथाम'' - 302.52 लाख रु. की बचत (1000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) खाद्य सुरक्षा और औषध मानकीकरण संबंधी बाह्य सहायताप्राप्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन में धीमी प्रगति होने, कर्मचारियों की नियुक्ति और प्रयोगशाला उपस्करों के लिए निविदाओं को अंतिम रूप देने में विलंब होने के कारण हुई।

(ङ) ''औषध नियंत्रण - केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन'' - 563.29 लाख रु. की बचत (1690.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) खाद्य सुरक्षा और औषध मानकीकरण संबंधी बाह्य सहायताप्राप्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन में धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(च) ''सेरा/वैक्सीन का विनिर्माण - बीसीजी वैक्सीन प्रयोगशाला, गुइंडी मद्रास'' - 161.54 लाख रु. की बचत (595.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वायल ऑन लाइन मशीन की अधिप्राप्ति में विलंब होने और रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण हुई।

(छ) ''लोक स्वास्थ्य शिक्षा - अखिल भारतीय स्वच्छता एवं लोक स्वास्थ्य संस्थान, कलकत्ता'' - 152.43 लाख रु. की बचत (730.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और रोगी वाहन की अधिप्राप्ति न किए जाने के कारण हुई।

(ज) ''लोक स्वास्थ्य प्रचार - केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो, नई दिल्ली'' - 128.97 लाख रु. की बचत (285.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और स्वास्थ्य प्रचार कार्यक्रमों पर प्रत्याशा से कम व्यय किए जाने के कारण हुई।

lying with Multi-Drug Leprosy District Societies and other implementing agencies.

(iv) "National Mental Health Programme" - saving of Rs.2307.68 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2800.00 lakhs) was due to delayed approval of the project.

(d) "Prevention of Food Adulteration - Administration and Prevention of Food Adulteration" - saving of Rs.302.52 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs) was due to slow progress in implementation of externally aided projects on food safety and drugs standardisations, delay in appointment of staff and finalisation of tenders for lab equipments.

(e) "Drug Control - Central Drugs Standards Control Organisation" - saving of Rs.563.29 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1690.00 lakhs) was due to slow progress in implementation of externally aided projects on food safety and drugs standardisation.

(f) "Manufacture of Sera/Vaccine - B.C.G. Vaccine Laboratory, Guindy Madras" - saving of Rs.161.54 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.595.00 lakhs) was due to delay in procuring the Vial on line machine and non-filling up of vacant posts.

(g) "Public Health Education - All India Institute of Hygiene and Public Health, Calcutta" - saving of Rs.152.43 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.730.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and non-procurement of ambulance.

(h) "Public Health Publicity - Central Health Education Bureau, New Delhi"- saving of Rs.128.97 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.285.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and lesser expenditure than anticipated on health publicity programmes.

(घा) ''सामान्य - स्वास्थ्य सांख्यिकी और मूल्यांकन - स्वास्थ्य सूचना और निगरानी प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण'' - 154.28 लाख रु. की बचत (241.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्वास्थ्य सूचना और निगरानी प्रणाली से संबंधित सुदृढ़ीकरण कार्य को लागू न किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष ''3601'' के अंतर्गत -

(का) ''केन्द्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी - अन्य स्वास्थ्य स्कीमें - कैंसर अनुसंधान और उपचार कार्यक्रम'' - 842.00 लाख रु. की बचत (1200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों से प्राप्त और स्थायी समिति द्वारा अनुमोदन किए गए आवेदन कम संख्या में होने की वजह से राज्य सरकारों द्वारा कैंसर अनुसंधान कार्यकलापों पर कम व्यय होने के कारण हुई।

(खा) ''केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - लोक स्वास्थ्य - रोगों की रोकथाम और उन पर नियंत्रण''-

(क) ''राष्ट्रीय रोहा और अंधता नियंत्रण कार्यक्रम (सामान्य संघटक)'' - 1797.10 लाख रु. की बचत (7010.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य अंधता नियंत्रण समितियों/जिला अंधता नियंत्रण समितियों के माध्यम से राज्यों को दिए गए नकद अनुदान पर कम व्यय होने के कारण हुई।

(ख) ''राष्ट्रीय मलेरिया-रोधी कार्यक्रम (शहरी)'' - 651.87 लाख रु. की बचत (957.70 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम लागू किए जाने की गति धीमी रहने की वजह से राज्यों द्वारा पण्य अनुदान की कम आवश्यकता होने के कारण हुई।

(ग) ''काला-अज़ार नियंत्रण कार्यक्रम'' - 621.00 लाख रु. की बचत (3700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों द्वारा अपनाई गई धीमी प्रगति की वजह से स्कीम लागू किए जाने में धीमी प्रगति होने और काला अजार के विशेष क्षेत्रों वाले राज्यों द्वारा की गई नकद/पण्य सहायता की कम आवश्यकता होने के कारण हुई।

(D) "General - Health Statistics and Evaluation-Strengthening of Health Information and Monitoring Systems" - saving of Rs.154.28 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.241.00 lakhs) was due to non-implementation of strengthening work relating to health information and monitoring system.

(III) Under Major Head "3601"-

(A) "Grants for Central Plan Schemes - Urban Health Services - Allopathy - Other Health Schemes - Cancer Research and Treatment Programme" - saving of Rs.842.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1200.00 lakhs) was due to less expenditure on cancer research activities by State Governments owing to less number of applications received from the States and approved by the Standing Committee.

(B) "Grant for Centrally Sponsored Plan Schemes - Public Health - Prevention and Control of Diseases"-

(a) "National Trachoma and Blindness Control Programme (General Component)" - saving of Rs.1797.10 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7010.00 lakhs) was due to less expenditure on cash grant given to States through State Blindness Control Societies/District Blindness Control Societies.

(b) "National Anti-Malaria Programme (Urban)" - saving of Rs.651.87 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.957.70 lakhs) was due to less requirement of commodity grant by States owing to slow pace in implementation of the scheme.

(c) "Kala-Azar Control Programme" - saving of Rs.621.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3700.00 lakhs) was due to slow progress in the implementation of the scheme owing to slow progress adopted by the States and less requirement of cash/commodity assistance made by the States endemic to Kala-Azar.

(घ) ''राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम (बाह्य सहायताप्राप्त संघटक)'' - 552.60 लाख रु. की बचत (1600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एम.डी.टी. औषधियों का पर्याप्त भंडार उपलब्ध होने के कारण हुई।

(ङ) ''राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम (सामान्य संघटक)'' - 156.27 लाख रु. की बचत (584.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों से उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त न होने की वजह से स्कीम के कार्यान्वयन में धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(च) ''राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम (बाह्य सहायताप्राप्त संघटक)'' - 1093.00 लाख रु. की बचत (3070.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(छ) ''राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम (सामान्य संघटक)'' - 110.00 लाख रु. की बचत (130.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें निधीयन पद्धति राज्यों को प्रत्यक्ष जारी किए जाने से बदलकर क्षयरोग नियंत्रण समितियों के माध्यम से किए जाने के कारण हुईं।

(ज) ''राष्ट्रीय मलेरिया-रोधी कार्यक्रम (ग्रामीण) (ई.ए.सी.)'' - 4405.75 लाख रु. की बचत (7558.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम लागू करने में धीमी प्रगति होने, राज्य सरकारों द्वारा पण्य सहायता की कम आवश्यकता होने, कम्प्यूटरों की अधिप्राप्ति न किए जाने और वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व सामग्री की आपूर्ति न किए जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष ''3606'' के अन्तर्गत -

(का) ''विश्व स्वास्थ्य संगठन से सहायता - राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए सामग्री सहायता'' - 545.42 लाख रु. की बचत (1580.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में एम.डी.टी. औषधियों का पर्याप्त भंडार उपलब्ध होने के कारण हुई।

(d) "National Leprosy Control Programme (Externally Aided Component)"- saving of Rs.552.60 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1600.00 lakhs) was due to availability of sufficient stock of M.D.T. drugs in States/Union Territories.

(e) "National Leprosy Control Programme (General Component)" - saving of Rs.156.27 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.584.00 lakhs) was due to slow progress in the implementation of the scheme owing to non- receipt of utilisation certificates from the States.

(f) "National T.B. Control Programme (Externally Aided Component)" - saving of Rs.1093.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3070.00 lakhs); and

(g) "National T.B. Control Programme (General Component)" - saving of Rs.110.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.130.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to switch over of funding pattern from direct release to States to release through T.B. Control Societies.

(h) "National Anti-Malaria Programme (Rural) (E.A.C.)" - saving of Rs.4405.75 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7558.00 lakhs) due to slow progress in the implementation the scheme, less requirement of commodity assistance by the State Governments, non-procurement of computers and non-supply of materials before close of financial year.

(IV) Under Major Head "3606"-

(A) "Assistance from World Health Organisation - Material Assistance for National Leprosy Control Programme" - saving of Rs.545.42 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1580.00 lakhs) was due to availability of sufficient stock of M.D.T. drugs in State/Union Territories.

(खा) ''अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डीएफआईडी), यू.के. से सहायता - राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए सामग्री सहायता'' - 200.00 लाख रु. की बचत (400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार को अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग द्वारा प्रत्यक्ष सहायता दिए जाने के कारण हुई।

(गा) ''जीडीएफ से सहायता - राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए सामग्री सहायता''-170.99 लाख रु. की बचत (1100.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों को विश्वव्यापी औषधि सुविधा द्वारा क्षयरोग-रोधी औषधियों की सीधे ही अधिप्राप्ति तथा आपूर्ति किए जाने के कारण हुई।

(V) पांच शीर्षों के अंतर्गत 357.71 लाख रु. की बचत हुई जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परन्तु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 12 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक थी।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (20420.10 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष ''2210'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अनुदान की पूरक मांगों के अनुबंध- II द्वारा पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) ''शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी''-

(क) ''केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना - डिस्पेंसरियों/अस्पतालों की स्थापना'' - 7521.53 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 7315.21 लाख रु. था।

(ख) ''अस्पताल और डिस्पेंसरियां - केन्द्रीय मनोचिकित्सा संस्थान, रांची'' - 139.39 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 130.72 लाख रु. था।

(खा) ''चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - एलोपैथी''-

(क) ''लेडी हार्डिंग चिकित्सा कालेज और श्रीमती एस.के. अस्पताल, नई दिल्ली'' - 346.10 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 261.34 लाख रु. था।

(B) "Assistance from Department for International Development (DFID), U.K.- Material Assistance for National T.B. Control Programme"- saving of Rs.200.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.400.00 lakhs) was due to direct assistance given by Department for International Development to State Government of Andhra Pradesh.

(C) "Assistance from GDF - Material Assistance for National T.B. Control Programme" - saving of Rs.170.99 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1100.00 lakhs) was due to direct procurement and supply of anti-TB drugs by Global Drugs Facility to the States.

(V) Under five heads savings of Rs.357.71 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 12 percent to 60 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (Rs.20420.10 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant and vide Annexure II to Supplementary Demands for Grants under Major Head "2210" under the following heads:-

(A) "Urban Health Services - Allopathy"-

(a) "Central Government Health Scheme - Setting up of Dispensaries/Hospitals" - Rs.7521.53 lakhs. Actual excess, however, was Rs.7315.21 lakhs.

(b) "Hospitals and Dispensaries - Central Institute of Psychiatry, Ranchi" - Rs.139.39 lakhs. Actual excess, however, was Rs.130.72 lakhs.

(B) "Medical Education, Training and Research- Allopathy"-

(a) "Lady Hardinge Medical College and Smt. S.K.Hospital, New Delhi" - Rs.346.10 lakhs. Actual excess, however, was Rs.261.34 lakhs.

(ख) "अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली'' - 5100.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 5099.00 लाख रु. था।

(ग) "राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका-विज्ञान संस्थान, बंगलौर को अनुदान'' - 600.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 820.00 लाख रु. था।

(घ) "चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान स्नातकोत्तर संस्थान, चंडीगढ़ को अनुदान'' - 950.00 लाख रु.।

(ङ) "वर्धमान महावीर चिकित्सा कालेज, नई दिल्ली'' - 100.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 117.37 लाख रु. था।

(च) "अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की तरह के उच्च विशिष्टता वाले अस्पताल एवं शिक्षण संस्थानों की स्थापना और राज्य सरकार के अस्पतालों का उन्नयन'' - 600.00 लाख रु.।

(गा) "लोक स्वास्थ्य''-

(क) "रोगों की रोकथाम व उन पर नियंत्रण''-

(i) "रोहा और अंधता नियंत्रण कार्यक्रम'' - 2167.50 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 2118.54 लाख रु. था।

(ii) "राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम'' - 2290.58 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 2186.90 लाख रु. था।

(iii) "अन्य व्यय - हज यात्रियों को टीका लगाने के लिए मेनिनजाइटिस वैक्सीन की अधिप्राप्ति'' - 605.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 604.20 लाख रु. था।

(II) उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष "2210''-

(क) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - एलोपैथी''-

(i) "भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली को अनुदान'' - 800.00 लाख रु. का अधिक व्यय

(b) "All India Institute of Medical Sciences, New Delhi" - Rs.5100.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.5099.00 lakhs.

(c) "Grants to National Institute of Mental Health and Neuro-Science, Bangalore" - Rs.600.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.820.00 lakhs.

(d) "Grants to Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh" - Rs.950.00 lakhs.

(e) "Vardhman Mahavir Medical College, New Delhi" - Rs.100.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.117.37 lakhs.

(f) "Establishment of AIIMS type Super-Speciality Hospital-cum-Teaching Institutions and upgrading of State Government Hospitals" - Rs.600.00 lakhs.

(C) "Public Health"-

(a) "Prevention and Control Diseases"-

(i) "Trachoma and Blindness Control Programme" - Rs.2167.50 lakhs. Actual excess, however, was Rs.2118.54 lakhs.

(ii) "National T.B.Control Programme" - Rs.2290.58 lakhs. Actual excess, however, was Rs.2186.90 lakhs.

(iii) "Other Expenditure - Procurement of Meningitis Vaccine for Innoculation of Haj Pilgrims" - Rs.605.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.604.20 lakhs.

(II) The above savings were also partly offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2210"-

(a) "Medical Education, Training and Research- Allopathy"-

(i) "Grants to Indian Council of Medical Research, New Delhi"- excess of Rs.800.00 lakhs (against the sanctioned provision of

(16686.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र में योजना कार्यकलापों पर स्थापना संबंधी व्यय में वृद्धि होने और अनुसंधान कार्यकलापों पर अधिक व्यय किए जाने के कारण हुआ जो कि निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष " 2552'' से सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए कार्यात्मक शीर्षों को किया गया था।

(ii) ''क्षेत्रीय स्नातकोत्तर केन्द्र, जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी''- 287.29 लाख रु. का अधिक व्यय (3037.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संस्थान के चिकित्सा अधिकारियों और अन्य परा-चिकित्सा कर्मचारियों को आश्वासित कैरियर प्रोन्नति स्कीम का लाभ प्रदान किए जाने के कारण हुआ।

(iii) ''पूर्वोत्तर क्षेत्र इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान संस्थान, शिलांग को अनुदान'' - 6500.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(ख) ''लोक स्वास्थ्य - प्रशिक्षण - ग्रामीण स्वास्थ्य - प्रशिक्षण केन्द्र, नजफगढ़'' - 149.88 लाख रु. का अधिक व्यय (163.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण, उपस्करों की अधिप्राप्ति और गहन प्रशिक्षण कार्यकलापों पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ।

(ग) ''रोगों की रोकथाम और उन पर नियंत्रण''-

(i) ''आयोडीन अभावजनित विकार नियंत्रण कार्यक्रम''- 439.27 लाख रु. का अधिक व्यय (490.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) इलेक्ट्रानिक और मुद्रण प्रचार माध्यमों द्वारा प्रचार पर अधिक व्यय किए जाने के कारण हुआ।

(ii) ''राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम'' - 2689.38 लाख रु. का अधिक व्यय (20500.00 लाख रु. के स्वीकृत

Rs.16686.00 lakhs) was due to increase in establishment related expenditure on plan activities and more expenditure on research activities in the North Eastern Region which was made by way of re-appropriation of funds from Major Head "2552" to the functional heads for meeting the expenditure on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region including Sikkim.

(ii) "Regional Post Graduate Centre, Jawaharlal Institute of Post-Graduate Medical Education and Research, Pondicherry" - excess of Rs.287.29 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3037.00 lakhs) was due to grant of benefit of Assured Career Progression Scheme to Medical Officers and other para medical staff of the Institute.

(iii) "Grants to North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences, Shillong" - excess of Rs.6500.00 lakhs (against nil provision) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to the functional heads for meeting the expenditure on projects/schemes for the benefit of North-Eastern States including Sikkim.

(b) "Public Health - Training - Rural Health - Training Centre, Najafgarh"-excess of Rs.149.88 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.163.00 lakhs) was due to increased expenditure on strengthening of labs, procurement of equipments and intensive training activities.

(c) "Prevention and Control of Diseases"-

(i) "Iodine Deficiency Disorders Control Programme" - excess of Rs.439.27 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.490.00 lakhs) was due to increased expenditure on publicity through electronic/ print media.

(ii) "National AIDS Control Programme" - excess of Rs.2689.38 lakhs (against the

प्रावधान की तुलना में) अनुमोदित कार्यकलापों के कार्यान्वयन के लिए राज्य एड्स नियंत्रण समितियों द्वारा निधियों का अधिक उपयोग किए जाने और निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552'' से सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

sanctioned provision of Rs.20500.00 lakhs) was due to more utilisation of funds by State Aids Control Societies for implementation of approved activities and re-appropriation of funds from Major Head "2552" to the functional heads for meeting the expenditure on the projects/schemes for the benefit of North Eastern States including Sikkim.

(खा) मुख्य शीर्ष "3601''-"केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - लोक स्वास्थ्य - रोगों की रोकथाम और उन पर नियंत्रण - राष्ट्रीय मलेरिया-रोधी कार्यक्रम (ग्रामीण) (सामान्य संघटक)'' - 5711.34 लाख रु. का अधिक व्यय (3935.30 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकार को नकद/पण्य अनुदानों की अधिक आवश्यकता होने और निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552'' से सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(B) Major Head "3601" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Public Health - Prevention and Control of Diseases - National Anti-Malaria Programme (Rural)(General Component)" - excess of Rs.5711.34 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3935.30 lakhs) was due to more requirement of cash/ commodity grants by State Governments and re-appropriation of funds from Major Head "2552" to the functional heads for meeting the expenditure on the projects/schemes for the benefit of North-Eastern States including Sikkim.

(III) तीन शीर्षों के अंतर्गत 162.84 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 10 प्रतिशत से 91 प्रतिशत तक था।

(III) Under three heads excess of Rs.162.84 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs and constituting 10 percent to 91 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष "4210'' चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4210" Capital Outlay on Medical and Public Health	31705.00	24178.03	–7526.97

(I) मुख्य शीर्ष "4210'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(I) Under Major Head "4210" - savings occurred under the following heads:-

(का) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं'' -

(A) "Urban Health Services"-

(क) ''चिकित्सा भंडार डिपो - डिपो'' - 587.57 लाख रु. की बचत (2100.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और डिपुओं द्वारा किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(ख) ''अन्य व्यय - भारत और विदेश में सामग्री की खरीद'' - 2073.67 लाख रु. की बचत (5000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सामग्री की अधिप्राप्ति न होने और दरों के अनुमोदन में विलंब होने के कारण हुई।

(खा) ''लोक स्वास्थ्य - रोगों की रोकथाम और उन पर नियंत्रण''-

(क) ''दृष्टिदोष की रोकथाम एवं अंधता नियंत्रण और रोहा नियंत्रण कार्यक्रम के लिए सामग्री और उपस्कर की थोक खरीद'' - 430.73 लाख रु. की बचत (1900.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों द्वारा नेत्र संबंधी उपस्करों और उपभोज्य मदों के लिए प्रत्याशा से कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई।

(ख) ''राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए सामग्री और उपस्कर की थोक खरीद''- 1694.30 लाख रु. की बचत (4200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों द्वारा सामग्री की आवश्यकता के अनुरूप क्षयरोग-रोधी औषधियों और बाइनाकुलर माइक्रोस्कोपों की प्रतिबंधित अधिप्राप्ति और उसके परिणामस्वरूप प्रत्याशा से कम व्यय होने के कारण हुई।

(ग) ''राष्ट्रीय मलेरिया-रोधी कार्यक्रम'' - 2624.65 लाख रु. की बचत (18075.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) तकनीकी विनिर्दिष्टियों को अंतिम रूप न दिए जाने की वजह से डिंभकनाशियों की अधिप्राप्ति न किए जाने के कारण हुई।

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत 56.92 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 34 प्रतिशत थी।

(a) "Medical Store Depots - Depots" - saving of Rs.587.57 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2100.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and austerity measures adopted by Depots.

(b) "Other Expenditure - Purchase of Materials in India and Abroad" - saving of Rs.2073.67 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5000.00 lakhs) was due to non-procurement of material and delay in approval of rates.

(B) "Public Health - Prevention and Control of Diseases"-

(a) "Bulk Purchase of Material and Equipment for Prevention of Visual Impairment and Control of Blindness and Trachoma Control Programme" - saving of Rs.430.73 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1900.00 lakhs) was due to less demand for ophthalmic equipments and consumables by States than anticipated.

(b) "Bulk Purchase of Material and Equipment for National Tuberculosis Control Programme" - saving of Rs.1694.30 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4200.00 lakhs) was due to restricted procurement of anti TB drugs and binocular microscopes conforming to the requirement of the material by the State Governments resulting in lesser expenditure than anticipated.

(c) "National Anti-Malaria Programme" - saving of Rs.2624.65 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.18075.00 lakhs) was due to non-procurement of larvicides owing to non-finalisation of technical specifications.

(II) Under one head saving of Rs.56.92 lakhs also occurred constituting 34 percent of the sanctioned provision.